



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102023-249714
CG-DL-E-26102023-249714

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4505]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 26, 2023/कार्तिक 4, 1945

No. 4505]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 2023/KARTIKA 4, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2023

सं. 40/2023

विषय: आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 15 की नीतिगत शर्त 1 में संशोधन।

का.आ. 4692(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 15 की नीतिगत शर्त 1 में निम्नानुसार संशोधन करती है:

मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
सभी तेल जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में शामिल हैं, साथ ही सभी शोधक्षम अरक तेल, भोद्यक्षम अरक तेल, तेल रहित खाद्य पदार्थ सहित खाद्य आटा नियंत्रण आदेश, 1967 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हैं (विवरण वेबसाइट: http://fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/solvent_Extracted-pdf) से प्राप्त किया जा सकता है। नारियल तेल को छोड़कर, आरबीडी पाम तेल, आरबीडी पाम स्टीयरिन और पाम कर्नेल तेल स्वतंत्र रूप से	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 (खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत बनाए गए) में निर्दिष्ट और इन विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप सभी वनस्पति तेल/परिष्कृत वनस्पति तेल/शोधक्षम अरक तेल, जहां अन्यथा कहा गया हो, को छोड़कर स्वतंत्र

आयात योग्य हैं। राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से नारियल/कोपरा तेल के आयात की अनुमति है।	रूप से आयात योग्य हैं। राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से नारियल/कोपरा तेल के आयात की अनुमति है।
---	--

2. **अधिसूचना का प्रभाव:** आईटीसी (एचएस), 2022 के अध्याय 15 की नीतिगत शर्त 1 को एफएसएसआई विनियमों के संदर्भ में अद्यतन किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/विविध-52/एम-06/पीसी-2(क)/भाग-I/ई-19847]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2023

No. 40/2023

Subject: Amendment in Policy Condition 1 of Chapter 15 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 4692(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), and read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Policy Condition 1 of Chapter 15 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy) as under:

Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
All Oils which are included in the Food Safety & Standards Act, 2006 as also all solvent extracted Oils conforming to the standards specified in the Third Schedule of Solvent Extracted Oil, Deoiled Meal and Edible Flour Control Order, 1967 (details can be accessed from website: http://fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/solvent_Extracted.pdf) except coconut oil, RBD palm oil, RBD palm stearin and palm kernel oil are freely importable. Import of coconut/copra oil is permitted through State Trading Enterprises.	All Vegetable Oils/ Refined Vegetable Oils/ Solvent extracted Oils specified in Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 (made under the Food Safety & Standards Act, 2006) and conforming to standards specified in these regulations are freely importable except where otherwise stated. Import of coconut/copra oil is permitted through State Trading Enterprises.

2. **Effect of the Notification:** Policy Condition 1 of Chapter 15 of ITC (HS), 2022 is updated in reference to FSSAI Regulations.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No.01/89/180/Misc-52/AM-06/PC-2(A)/Part-I/E-19847]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.